न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/386

1. सोहन लाल आत्मज श्री मुकुन्दी लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राकेश आयु 28 वर्ष आत्मज स्व0 सोहन लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. इन्द्र सिंह आयु 26 वर्ष आत्मज स्व0 सोहन लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/3. कान्ता बाई आयु 32 वर्ष पुत्री स्व0 सोहन लाल पत्नी श्री हंसराज जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव हाल निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/4. निहाल देवी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व0 सोहन लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रमेश आत्मज सोहन लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बहैसियत स्वयं कायममुकाम ।
3. जोगेन्द्र आत्मज सोहन लाल जाति ओड निवासी दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बहैसियत स्वयं कायममुकामान ।

––अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री राजाराम जाति ओड निवासी रामगंज बालाजी तहसील व जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 गुलाब देवी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन

क्या कि ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली में आराजी खसरा नम्बर 634/2 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि की वादिनी खातेदार दर्ज है और वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि के पास प्रतिवादीगण की कोई भूमि नहीं है । प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी में कब्जा करने की नियत रखते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादिनी के व उसक प्रतिनिधि के काश्त करने, फसल बोने, व काटने, उपयोग व उपभोग करने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे एंव वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम अटलसेवा केन्द्र आकोदा में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प मुकाम अटल सेवा केन्द्र आकोदा में अपीलान्ट को बुलाया जिसमें अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा नहीं हुआ उसके बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2015 नियत कर दी जब अपीलान्ट उक्त दिनांक को उपस्थित हुआ तो मालूम हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में ही निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट कम 1/4 की आराजी खसरा नम्बर 645/2 रकबा 04 बीघा खातेदारी की भूमि तथा अपीलान्ट कम 3 की आराजी खसरा नम्बर 646/2 रकबा 02 बीघा भूमि पूर्व में आवंटन हुई थी और आवंटन के समय से अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि अपीलान्ट को पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 02 रकबा 149 बीघा 11 बिस्वा में से आवंटन हुई थी । अपीलान्ट आवंटन के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 02 रकबा 149 बीघा 11 बिस्वा में से ही रेस्पोडेन्ट गुलाब देवी को भी 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसके खसरा नम्बर 634/2 वाके ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

स्थित है । परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट के पास स्थित भूमि की रेस्पोडेन्ट के नाम तरमीम कर दी गई जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों के अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो न्यायोचित नहीं है तथा अपीलान्ट के पिता सोहन लाल के पास आराजी खसरा नम्बर 03 में भूमि स्थित है जो खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत् 2052 वर्ष 1995–1996 में भी अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी के नाम अंकित है और खसरा नम्बर 03 की भूमि की अपीलान्ट पेनेल्टियॉ देते आ रहे और काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपीलान्ट के पास स्थिति कब्जे की भूमि में तरमीम करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के समाने झूंठे तथ्य पेश करके निर्णय पारित करवा लिया जो निरस्तनीय है क्योंकि अपीलान्ट कम 1/4 एवं अपीलान्ट कम 3 तथा रेस्पोडेन्ट उक्त को उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2 में से आवंटन हुई थी । आवंटन के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 634/2 रकबा 10 बीघा पर कभी काबिज काश्त नहीं रहे हैं । रेस्पोडेन्ट की भूमि पर धन्ना, हजारा गुर्जर का कब्जा रहा है क्योंकि रेस्पोडेन्ट गुलाब देवी दरा का नयागॉव में नहीं रहकर ग्राम रामगंज बालाजी में निवास करती है । रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति में धन्ना, हजारा गुर्जर द्वारा कब्जा कर लिया गया और रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट कम 1/4 व अपीलान्ट कम 3 की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट कम 1/4 निहाल देवी एंव अपीलान्ट कम 3 जोगेन्द्र सिंह दोनो की खातेदारी भूमि 06 बीघा पर गौर नहीं किया गया है और निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेन्ट का तरमीमशुदा भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट कम 1/4 निहाल देवी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 645/2 रकबा 04 बीघा एवं अपीलान्ट कम 3 जोगेन्द्र सिंह की भूमि आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की खाते की भूमि को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोडेन्ट गुलाब देवी की आराजी खसरा नम्बर 634/2 रकबा 10 बीघा की तरमीम को निरस्त करते हुए पुनः कब्जे के अनुसार तरमीम करने का आदेश पारित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम अटल सेवा केन्द्र आकोदा में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें पक्षकारान में आपस में सहमति नहीं बनी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटि पूर्ण होने एवं लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से उक्त निर्णय निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है

इसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 634/2 रकबा 10 बीघा की तरमीम को आधार मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आराजी खसरा नम्बर 634/2 रकबा 10 बीघा की तरमीम को निरस्त करते हुए पुनः कब्जे के अनुसार तरमीम करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा